

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 जनवरी 2016—पौष 12, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. एफ बी-4-15-2015-पांच (1).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मेसर्स 'ट्राईडेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' द्वारा मेसर्स 'ट्राईडेंट लिमिटेड' के पक्ष में निष्पादित सीहोर जिले की बुदनी तहसील के विभिन्न ग्रामों में स्थित लगभग 620.98 एकड़ भूमि एवं उससे सम्बद्ध अन्य संपत्तियों यथा प्लांट एवं मशीनरी, भवन, शेड इत्यादि से संबंधित हस्तान्तरण विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है. यह छूट पूर्व उदाहरण नहीं मानी जाएगी.

2. यह आदेश दिनांक 27 अगस्त, 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. एफ बी-4-15-2015-2-पांच (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ बी-4-15-2015-2-पांच (1), दिनांक 2 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd January 2016

No. F-B-4-15-2015-2-V (1).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, remits the stamp duty chargeable on deeds of conveyance executed by M/s Trident Corporation Limited in favour of

M/s Trident Limited relating to the land measuring approximately 620.98 acre and other property namely plants and machinery buildings, sheds etc. attached to such land, situated in different villages of Budni Tehsil in Sehore District. This exemption shall not be treated as a precedent.

This order shall be deemed to have come into force from 27th August, 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. एफ बी-4-15-2015-पांच (2).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मेसर्स ट्राईडेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मेसर्स ट्राईडेंट लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित सीहोर जिले की बुदनी तहसील के विभिन्न ग्रामों में स्थित लगभग 620.98 एकड़ भूमि एवं उससे सम्बद्ध अन्य संपत्तियों यथा प्लांट एवं मशीनरी, भवन, शेड इत्यादि से संबंधित हस्तान्तरण विलेखों पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस से छूट प्रदान करती है. यह छूट पूर्व उदाहरण नहीं मानी जाएगी.

2. यह आदेश दिनांक 27 अगस्त, 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. एफ बी-4-15-2015-2-पांच (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ बी-4-15-2015-2-पांच (2), दिनांक 2 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd January 2016

No. F-B-4-15-2015-2-V (2).—In exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, remits the registration fees chargeable on deeds of conveyance executed by M/s Trident Corporation Limited in favour of M/s Trident Limited relating to the land measuring approximately 620.98 acre and other property namely plants and machinery buildings, sheds etc. attached to such land, situated in different villages of Budni Tehsil in Sehore District. This exemption shall not be treated as a precedent.

2. This order shall be deemed to have come into force from 27th August, 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.